

माननीय अध्यक्ष महोदय


दिनांक 20.03.2017 की प्रश्नोत्तर सूची के पृष्ठ क्रमांक .....<sup>3</sup>..... में मुद्रित तारांकित प्रश्न संख्या - 9 (क्रमांक 2175) में, मैं निम्नानुसार संशोधन करना चाहता हूँ :-

प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित उत्तर के भाग

“क” में वर्णित जिला सूरजपुर अंतर्गत जिला चिकित्सालय में चिकित्सा विशेषज्ञ के 29 पद स्वीकृत है,

के स्थान पर निम्नानुसार संशोधित उत्तर पढ़ा जावे -

“क” में वर्णित जिला सूरजपुर अंतर्गत जिला चिकित्सालय में चिकित्सा विशेषज्ञ के 12 पद स्वीकृत हैं।

  
(अजय चन्द्राकर)

मंत्री

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण  
तथा चिकित्सा शिक्षा

**छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय**

**शुद्धि-पत्र**

दिनांक 20 मार्च, 2017 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित निम्नलिखित अशुद्धियों को शुद्ध करके पढा जावे :-

प्रश्न संख्या एवं क्रमांक	अशुद्ध	शुद्ध
<b>तारांकित प्रश्नोत्तर</b>		
ता.प्र.सं. 9 (क्र. 2175) उत्तर (क)	चिकित्सा विशेष पद स्वीकृत है	चिकित्सा विशेषज्ञ के 29 पद स्वीकृत है
ता.प्र.सं. 11 (क्र. 1872) शीर्षक	डोंगरगढ़ विधान सभा क्षेत्र में	डोंगरगांव विधान सभा क्षेत्र में
ता.प्र.सं. 18 (क्र. 717) उत्तर (क)	जिसमें से लिकिंग के माध्यम से	जिसमें से लिकिंग के माध्यम से
ता.प्र.सं. 21 (क्र. 2258) प्रश्न (क)	(ख)	(क)
ता.प्र.सं. 21 (क्र. 2258) प्रश्न (ग) एवं उत्तर (ग)	प्रावधानिक राशि	प्रावधानित राशि
ता.प्र.सं. 25 (क्र. 2419) उत्तर (क)	दिनांक 15-11-2016 से दिनांक 31-01-2017 से दिनांक 31-01-2017 तक	दिनांक 15-11-2016 से दिनांक 31-01-2017 तक

स्थान : विधान सभा भवन,  
रायपुर  
दिनांक : 19 मार्च, 2017

देवेन्द्र वर्मा  
प्रमुख सचिव  
छत्तीसगढ़ विधान सभा